रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239804
CG-DL-E-21102022-239804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944
No. 271] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022

सं. 32/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.107 (एफटीए/सीईसीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा) में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/01/एएम–22/पीसी–2[ख]/ई–31419.—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015–20 दिनांक 01.05.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–20 दिनांक 29.08.2022 के क्रम में परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक–IV को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

1. परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक–IV में शर्त (ण) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगाः

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आरबीआई (बैंकों के मामलें में) या डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित अहर्ता प्राप्त ज्वैलर्स का आयातक निर्यातक कोड (आईईसी), जिस आभूषण विनिर्माता को टीआरक्यू जारी किया जा रहा है, उसकी जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) भी शामिल होगी। उक्त टीआरक्यू आयातक सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का	उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त, प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत मदों के लिए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आरबीआई (बैंकों के मामलें में) या अन्य एजेंसियों हेतु डीजीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित अहर्ता प्राप्त ज्वैलर्स का आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) भी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र में आभूषण विनिर्माता जिसे टीआरक्यू जारी किया जा रहा है, की जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) भी शामिल होगी। उक्त टीआरक्यू आयातक

आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।	सीमाशुल्क परिपत्र संख्या 18/2022–सीमाशुल्क दिनांक 10.09.2022 के साथ पठित सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु माल का आयात) नियमावली, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

2. इसके अलावा, परिशिष्ट–2क के अनुलग्नक–IV के तहत शर्त (त) को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

आईजीसीआर प्रक्रिया आयातक पर अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को सोने (7108 के तहत आने वाली) की आपूर्ति किए जाने तक और मासिक विवरण प्रस्तुत किए जाने तक लागू होती है। जॉब वर्क पर प्रतिबंध केवल उस मामले से संबंधित हैं जहां यह आयातक की वस्तुओं पर किया जाता है और आपूर्ति पर माल प्राप्त करने वाले अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता पर लागू नहीं होता है। इसलिए, 7108 के तहत माल प्राप्त होने पर, टीआरक्यू धारक जॉब वर्क के साथ या इसके बिना विनिर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत–यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू आयात के लिए शर्तों को, परिपत्र सं. 18/2022–सीमाशुल्क दिनांक 10.09.2022 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 74/2022–सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 09.09.2022 के अनुरूप, अद्यतित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate of Commerce and Industry)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th October, 2022

No. 32/2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.107(TRQ under FTA/CECA) of Handbook of Procedure 2015-2020

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E-31419.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Annexure-IV of Appendix-2A, in continuation to Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022 and Public Notice 23/2015-20 dated 29.08.2022 as follows -

1. Condition (o) in Annexure IV of Appendix 2A, shall be amended as under:

Existing Condition	Amended Condition
In addition to the requirements as above, the TRQ authorization for items under Tariff head 7108, shall also contain Importer Exporter Code (IEC) of the nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or DGFT (for other agencies) or qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA), GST Identification Number (GSTIN) of the jewellery manufacturer to whom TRQ is being issued. The said TRQ importer shall follow the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.	In addition to the requirements as above, the TRQ authorization for items under Tariff head 7108 shall also contain Importer-Exporter Code (IEC) of nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or DGFT for other agencies, or qualified jewellers as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Additionally, TRQ authorization shall also contain GST Identification Number (GSTIN) of the jewellery manufacturer to whom TRQ is being issued. The said TRQ importer shall follow the procedure set out in the Customs Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for

	specified end use) Rules, 2022 read with Customs Circular No. 18/2022-Customs dated 10.09.2022

2. Further, Condition (p) under Annexure IV of Appendix 2A, shall be inserted as under:

The IGCR procedure applies to the importer till supply of gold (falling under 7108) to end-use recipient and filing of monthly statement. The restrictions on job work are only relating to the case where it is undertaken on the goods belonging to importer and does not apply to the end use recipient who receives the goods on supply. Therefore, on receipt of goods under 7108, the TRQ holder may utilize the same for manufacture with or without job work.

Effect of this Public Notice: Conditions for TRQ imports under tariff head 7108 under India-UAE CEPA are updated in line with Customs Notification No. 74/2022-Customs(N.T.) dated 09.09.2022 read with Circular No.18/2022-Customs 10.09.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &

Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.21 19:54:20 +05'30'